



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 154 राँची, गुरुवार,

2 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

06 मार्च, 2026

संख्या-03/आरोप-11-32/2024-35066 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-476/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत महागामा, गोड्डा के विरुद्ध बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये JCB मशीन को नगर पंचायत क्षेत्र महागामा से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में परिचालित कराने, JCB मशीन का लॉगबुक सही ढंग से नियमित रूप से संधारित नहीं करने तथा JCB मशीन के परिचालन से प्राप्त भाड़ा वसूली में भारी अनियमितता बरतने के साथ वसूली की गई राशि ससमय सरकारी खाते में जमा नहीं कराने, पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं गुमराह करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, गोड्डा के ज्ञापांक-308, दिनांक 06.07.2024 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. श्री मिश्रा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
3. अतः श्री मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री मिश्रा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

5. श्री मिश्रा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरूण वाल्टर संग्रा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा0प्र0से0 एवं श्री अरूण वाल्टर संग्रा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJEEV KUMAR MISHRA JHK/JAS/198	श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-476/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत महागामा, गोड्डा के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
